

गुड प्रैक्टिस नोट

सरकार के नेतृत्व में घरेलू मुर्गी पालन के लिए स्वास्थ्य सेवाएं



क्षेत्र : दक्षिण एशिया
देश : भारत
राज्य : छत्तीसगढ़
ज़िला : बस्तर

साउथ एशिया

प्रो-पुअर लाइवस्टोक पोलिसी प्रोग्राम

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवम् कृषि संगठन का उपक्रम

सरकार के नेतृत्व में घरेलू मुर्गी पालन के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ: बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना, छत्तीसगढ़

लेखकः	प्रकाश शिंदे, ममता धवन
समीक्षकः	लूसी मार्स, शिफाली मिसरा, उगो पीका-सीयामारा
योगदानकर्ताः	गौतम रॉय, नीरज श्रीवास्तवा, सुनीता रॉय,
पाठ संपादकः	अदिती चानडक, शीला कोयाना, रुचिता खुराना, टिन्नी साहनी
हिन्दी अनुवादः	प्रकाश शिंदे, शीला कोयाना, रुचिता खुराना, एन के शर्मा

1. प्रस्तावना

भारत पारंपरिक रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जहां पशुओं ने ग्रामीण लोगों की आजीविका में हमेशा एक अभिन्न भूमिका निभाई है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपनी आजीविका के लिए करीब 65-70 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर है, तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र का लगभग 22 प्रतिशत योगदान है।

देश भर में और विशेष रूप से भारत की शुष्क भूमि क्षेत्रों में पशु-पालन लाखों छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिक की आजीविका और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। वे विविध प्रजाति के दुधारे पशु तथा भेड़ और मुर्गी का पालन करते हैं। अनुमान है कि लगभग 180 लाख लोग पशुओं से अपनी आजीविका चलाते हैं। महिलाएं घरेलू स्तर पर पशु धन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं, अनुमान है कि पशु-पालन में समर्पित बल का 71 प्रतिशत महिलाएँ हैं। माना जाता है कि पशुधन अर्थव्यवस्था ग्रामीण समाज के वर्गों में, भूमि की तुलना में पशुधन का विस्तार कृषकों के मध्य समान रूप से है। इसलिए, भारतीय आबादी का सबसे गरीब वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका को चलाने के लिए पशु-पालन पर एक दूसरे स्रोत के रूप में निर्भर रहता है। अध्ययन से पता चलता है छोटे-धारक किसान लगभग आधी आय पशु-पालन से प्राप्त करते हैं। (स्रोत: वित्तीय प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान - <http://www.ifmr.ac.in/cirm/livelihood-livestock.htm>)

पशुधन क्षेत्र के अन्तरगत मुर्गीपालन भारत में तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। जबकि कृषि फसलों का वार्षिक उत्पादन 1.5 से 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, अंडे और ब्रायलर के उत्पादन में वृद्धि 8 से 10 प्रतिशत की दर से हुई है (मेहता एट अल, 2002)। इस वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर व्यवसायिक मुर्गीपालन क्षेत्र को, जिसमें पिछले चार दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिम्मेदार ठहराया है। वर्तमान में, भारत में सालाना 45 अरब अंडे उत्पादित होते हैं। इन आंकड़े के कारण भारत को विश्व में अंडा उत्पादन में चौथे स्थान प्राप्त है। हालांकि घरेलू मुर्गी पालन परंपरागत तौर से भारतीय कृषि व्यवस्था में अंतर्निहित है, देसी मुर्गी की आबादी केवल 8.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से 1997 और 2003 के बीच बढ़ी। इसी अवधि के दौरान, देसी मुर्गियाँ, कुल पक्षी जनसंख्या की 52 प्रतिशत रही और उनके अंडे उत्पादन का योगदान 23 प्रतिशत रहा। दोनों, पारंपरिक, व्यापक, घरेलू पोल्ट्री उत्पादन और आधुनिक, गहन प्रणाली ने, तीस लाख से अधिक लोगों को, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर से, आजीविका सुनिश्चित किया है। (एफएओ, 2008)

यह धारणा लगायी जाती है कि वाणिज्यिक कुक्कुट क्षेत्र के तेजी से विकास के कारण, बड़े पैमाने पर आधारित व्यावसायिक इकाइयां छोटे-पैमाने की पशु-पालन इकाइयों का अस्तित्व कमजोर करती हैं जिसके कारण ग्रामीण गरीबी बढ़ती है (डेलगाडो एट अल, 1999; स्टेनफील्ड, 2002)। एक मुख्य मुद्दा - जो इस व्याप्त धारणा को रोक सके तथा सुनिश्चित करे की छोटे-धारक मुर्गी-पालक इकाइयां इस क्षेत्र में योगदान दे सकें और क्षेत्र के विकास से लाभ उठा सकें - यह है कि सरकार की एक सहायक

नीति बने (कौनराय, 2004)। यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के नीति निर्माताओं द्वारा भी स्वीकृत है¹।

हालांकि यह एक स्थापित तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशु-पालकों को अधिक से अधिक उत्पादकता मिलने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है, इन प्रौद्योगिकियों को, अगर सफलतापूर्वक अपनाना है तो इन्हें उनकी जरूरतों के लिए उपयुक्त होना चाहिए और बाधाओं और जोखिम के रूप में व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार करना चाहिए जैसे कि वह कमियां और भेद्यता जो न्यूनतम साधनों वाले व्यक्ति सामना करते हैं(आईबिड., 2004) । इसके अलावा, वहाँ पर्याप्त बैक-अप समर्थन और सेवाएं जैसे की प्रशिक्षण, सलाहकार सेवाएं, निवेश की आपूर्ति और विपणन सहायता सेवाओं का होना आवश्यक है।

देशी मुर्गी-पालन को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गये हैं, क्योंकि यह आय, रोजगार और ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन करते हैं, जो सब मिलाकर बेहतर आजीविका में योगदान देते हैं²। ऐसा ही एक उदाहरण है बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना (बीआईएलडापी), छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीएच) के तहत लागू, जिसकी प्रारंभिक सहायता डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता (डेनिडा) ने की।

यह गुड प्रैक्टिस प्रदर्शित करता है कि कैसे पर्याप्त विस्तार और समर्थन प्रणाली के साथ सरल लागत प्रभावी हस्तक्षेप मुर्गी और आदिवासी किसानों के कृषि प्रबंधन क्षमताओं के सुधार में योगदान देता है, जिससे गरीबी कम करने में सहायता होती है। यह हस्तक्षेप एक सरकारी कार्यक्रम है, जो प्रारंभ में द्विपक्षीय-सहायता-कार्यक्रम के तहत डेनिडा के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया (1999 – 2003)। 2004 में डेनिडा की वित्तीय सहायता समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व स्वरूप एवं गतिविधियों के साथ परियोजना को निरंतर जारी रखा।

पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता इस तथ्य से स्पष्ट है कि देश-भर में यह राज्य उन कुछ राज्यों में से है जिसने एक व्यापक पशुधन नीति स्थापित की है। इस नीति को कैपिटलाईजेशन ऑफ लाईवस्टॉक एक्सपीरियेंसिज़ (कालपी)³ के द्वारा समर्थित एक बहु हितधारक भागीदारी की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया। इस प्रक्रिया ने प्रमुख हितधारकों - सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और दाताओं - को एक-जुट किया और उन्हें कौशल विकास और बहु-हितधारक बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया, ताकि वह प्रभावी रूप से नीति विकास प्रक्रिया में योगदान दे सकें, तथा इस दौरान अपनी निजी जानकारी भी बढ़ा सकें।

¹ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2007-12, खंड III, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, सेवा और भौतिक अवसंरचना, पृष्ठ 24, धारा 1.79 "पशुधन क्षेत्र के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य....."

² <http://sapplp.org/goodpractices/small-holder-poultry/>

³ कालपी - विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी (एसडीसी) और इन्टरकोऑपरेशन का एक कार्यक्रम


2. परिदृश्य

छत्तीसगढ़ एक अपेक्षाकृत नया राज्य है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। यह मोटे तौर पर तीन कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मध्य मैदान और बस्तर पठार शामिल हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग किमी है, जिसमें 44 प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से आच्छादित है, 36 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, जिसमें से केवल 20 प्रतिशत भूमि सिंचित है। धान मुख्य फसल है जो लगभग 60 प्रतिशत कुल कृषि योग्य क्षेत्र पर उगाई जाती है, और काफी हद तक वर्षा पर आधारित है।

भूमिहीन, लघु और सीमांत किसान, जिनका गठन कुल ग्रामीण परिवारों का 81 प्रतिशत है, राज्य के 88

प्रतिशत पोल्ट्री, और 67 प्रतिशत सूअर और भेड़-बकरी का पालन करते हैं। (छत्तीसगढ़ सरकार और कालपी., 2007) घरेलू-मुर्गी मुख्य रूप से स्वदेशी और स्वयं-सृजन⁴ होती हैं। यह उत्पादन प्रणाली छोटे धारकों के लिए सदियों से अच्छी तरह से उचित है, और इसका एक परिणाम यह रहा कि 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार सफलतापूर्वक अपने घरों में छोटी मुर्गी-पालन के इकाइयों को बनाए रखते हैं, जिससे राज्य के अंडे और मुर्गी मांस के उत्पादन में क्रमशः 30 और 35 प्रतिशत का योगदान मिलता है (छत्तीसगढ़ सरकार और कालपी., 2007)। किसान पूरक आय और तरल नकदी के लिए मुर्गी-पालन पर काफी निर्भर करते हैं, और इसलिए ग्रामीण घरेलू पॉल्ट्री उत्पादन को मजबूत करने के लिए कोई भी प्रयास गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

चित्र 1: छत्तीसगढ़ राज्य



⁴ एक अंडा देने के चक्र के बाद, स्वदेशी मुर्गियाँ अंडों पर बैठती हैं और चूजे हैच करती हैं।

दक्षिणी छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर पठार देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। सत्र प्रतिशत क्षेत्र की जनसंख्या आदिवासी समुदाय से गठित है (आईबिड., 2007)। क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित है यहाँ अन्य प्रकार के लघु वन उपज (एमएफपी) मिलते हैं, उदाहरण के लिए, चिरौन्जी, आंवला, आम, शिकाकाय इमली और काजू। इस लघु वन उपज के माध्यम से, यह क्षेत्र राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। परंपरागत रूप से, गोंड, हलबा, अभुज मारिया और धुरवा के आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए लघु वन उपज पर आश्रित हैं। वे बकरी और सूअर जैसे छोटे जानवरों को अपनी पूरक आय के लिए भी रखते हैं।

तथापि, जनजातीय समुदायों का जीवन तेजी से बदल रहा है, जिसके कारण है जंगल के उत्पादन में सिकुड़ती पहुँच, काम की तलाश में पलायन और नक्सली आंदोलन⁵ की वजह से लगातार अशांति। ग्रामों में नेतृत्व, परंपरागत मुखिया से निर्वाचित पंचायत सदस्यों में बदल रहा है। आदिवासी परिवार मुख्य रूप से जंगल के उत्पादों पर निर्भर हुआ करते थे, किन्तु वे अब धीरे धीरे वर्षा-आधारित निर्वाह कृषि की ओर (आईबिड, 2007) बढ़ रहे हैं। पीने के पानी की सुविधाओं का अभाव और बिजली की कमी जैसी

बॉक्स 1: छोटे-धारक पोल्ट्री-पालन के फायदे व नुकसान फायदे:

- परिवार के संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करता है।
- पोषण बढ़ाने और एक अतिरिक्त आय स्रोत बनाने के द्वारा ग्रामीण गरीबी को कम करने पर ध्यान केंद्रित।
- अगर सही परिस्थितियाँ मौजूद हों तो निवेश के सापेक्ष उच्च रोजगार संभावित होता है।
- अन्य जानवरों की देखभाल की तुलना में, मुर्गी-पालन में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी अपेक्षाकृत उच्च होती है।
- छोटे पैमाने पर ग्रामीण उत्पादकों के लिए लाभदायक साबित होता है।
- विदेशी संकर की तुलना में 25-30% उच्च कीमत की प्राप्ति होती है।

पांच पक्षपात जो छोटे-धारक पोल्ट्री-पालन की क्षमता को सीमित करते हैं:

दृष्टिकोण: ऊपर से नीचे: केवल प्रगतिशील किसानों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

प्रजाति: बड़े जानवरों पर ध्यान केंद्रित।

उपज: अन्य पहलुओं की उपेक्षा गहन-व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित उपज को अधिकतम करने के लिए।

क्षेत्र: सेवाएं अपेक्षाकृत उच्च संभावित क्षेत्रों में केंद्रित-शहर और आस-पास के क्षेत्रों में।

लिंग: अधिकांश विस्तार सेवाएं पुरुषों द्वारा पुरुषों को ही प्रदान की जाती है, जबकि महिलाओं की भूमिका पोल्ट्री-पालन में महत्वपूर्ण होती है।

स्रोत: डॉ पी. के. शिंदे, छत्तीसगढ़ में पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र: वर्तमान और भविष्य के लिए स्थिति दृष्टिकोण, इंटरकोपरेशन

⁵ नक्सलियों या नक्सलवादी (जिसका नाम भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित नक्सलबाड़ी गांव, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, से लिया गया है) कट्टरपंथी कम्युनिस्ट वाम दलों का एक समूह है, जो माओवादी राजनीतिक भावना और विचारधारा का समर्थन करते हैं। उनकी उत्पत्ति 1967 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) में विभाजन और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के गठन के लिए अग्रणी है। शुरू में आंदोलन का केंद्र पश्चिम बंगाल में था। हाल के वर्षों में, यह ग्रामीण मध्य और पूर्वी भारत की छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के रूप में भूमिगत समूहों की गतिविधियों के माध्यम से कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया है। (स्रोत: विकिपीडिया)

समस्याओं का क्षेत्र में सभी को सामना करना पड़ा रहा है। शिशु मृत्यु दर 84 प्रति 1000 जीवित जन्म है। 19 साल की उम्र से ऊपर की आबादी का 81 प्रतिशत निरक्षर है, जबकि महिलाओं के बीच साक्षरता दर, अधिकतर आंतरिक गांवों में, 10 प्रतिशत से नीचे है।

कुक्कुट पालन ग्रामीण घरों में एक प्रमुख गतिविधि है क्योंकि यह एक कम निवेश-कम उत्पादन प्रणाली पर आधारित है। 2003 के 17वीं पशुधन जनगणना के अनुसार पोल्ट्री जनसंख्या 8,004,859 है, जिसमें से 29.37 प्रतिशत (2,351,004) देसी पोल्ट्री हैं, जिनका पालन छत्तीसगढ़ में गांव स्थित छोटे-धारक पशु-पालक करते हैं। आदिवासी परिवार परंपरागत रूप से मुर्गी-पालन करते हैं; मुर्गियों के मुख्य रखवाले महिलाएं होती हैं, अथवा इस गतिविधि के माध्यम से उन्हें अनुपूरक आय प्राप्त होती है। दूध और दूध के उत्पाद आदिवासी के आम आहार का हिस्सा नहीं होते, इस स्थिति में यह गतिविधि उन्हें पोषक तत्वों की खुराक के साथ मूल्यवान पशु प्रोटीन प्रदान करती है। आदिवासी घरों में मुर्गियों के झुंड का आकार अलग अलग होता है, मुर्गियों की संख्या कहीं 2 तो कहीं 10 प्रति घर होती है। पुरुष आमतौर पर मुर्गी का उपयोग मुर्गी-लड़ाई प्रयोजनों के लिए करते हैं और चैंपियन मुर्गे अपने मालिकों का गौरव होते हैं (शिंदे और श्रीवास्तव, 2006)।

पक्षी के रंग और लिंग धार्मिक और सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से कुछ समुदायों में काफी महत्व रखता है। देशी पोल्ट्री में अंडे सेने की क्षमता, भोजन के लिये सफलतापूर्वक घूमना और कुशल मातृभाव होता है। ये देशी मुर्गियाँ अपेक्षाकृत अधिक आम रोगों से बची रहती हैं और स्थानीय पर्यावरण में आसानी से अनुकूलित होती हैं। इन मुर्गियों के अधिकांश अंडे सेने के लिए रखे जाते हैं। इसके अलावा, आवश्यकता होने पर छोटे धारक मुर्गी-पालकों के लिए यह तैयार नकदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देशी मुर्गी के अंडे और मांस वाणिज्यिक-उत्पादित ब्रॉयलर और अंडों की तुलना में 40 से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य में बिकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घरेलू मुर्गी-पालन महिलाओं को सशक्त बनाती है क्योंकि वे घरेलू पोल्ट्री के मुख्य प्रबंधक और मालिक होते हैं (छत्तीसगढ़ सरकार और कालपी, 2007)।

घरेलू मुर्गीपालन में मृत्युदर जीवाणु एवं परजीवि संक्रमण के कारण अधिक होती है। यद्यपि वायरल संक्रमण की संभावना व्यवसायिक मुर्गीपालन की अपेक्षा घरेलू मुर्गीपालन में कम होती है, फिर भी रानीखेत एवं चेचक रोग के विषाणु के संक्रमण की संभावना बनी रहती है (शिंदे और श्रीवास्तव, 2006)। इसके अलावा, मुर्गियों में बढ़ती मृत्यु दर हिंसक जानवरों के शिकार के कारण है। परजीवी संक्रमण एक आम समस्या है जो दोनों बाह्य-परजीवी जैसे जूँ और कण, और कई प्रकार के कृमि जैसे गोल कृमि और टेप कीड़े घरेलू पोल्ट्री में पाये जाने के कारण होते हैं। संक्रमित पक्षियों में कृमि भोजनप्रणाली के अंदर भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। नतीजतन, संक्रमित पक्षियाँ सुस्त व क्षीण हो जाती हैं, उनके पंख नीचे की ओर लटक जाते हैं और उनका अंडा उत्पादन कम हो जाता है। छोटे चूजे, 2 महीने की उम्र तक, विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि एक बार वे कमजोर हो जाते हैं तो वे भोजन के लिए अन्य मुर्गियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं तथा तेजी से भाग न पाने के कारण उनके हिंसक जानवरों के शिकार बनने की संभावना अधिक हो जाती है। अस्वच्छ परिवेश, और कच्चे आवास (अस्थायी, मिट्टी से बने) परजीवी संक्रमण को बढ़ावा देते हैं जिसके कारण आर्थिक हानि होती है और प्रत्यक्ष (दुर्बलता के कारण मृत्यु)

और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचाते हैं जो पक्षियों को अन्य बीमारियों के प्रति अतिसंवेदनशील बना देती हैं। किसानों के लिए घरेलू मुर्गी पालन की गतिविधि और भी उलझ जाती है क्योंकि उनको ऋण प्राप्ति, प्रशिक्षण और प्रासंगिक विस्तार सेवाओं की जानकारी की कमी होती है। इसके अलावा, हालांकि प्रणाली स्वयं सृजन और आत्मनिर्भर है, इसके अग्रगामी और पश्चगामी संपर्क अनुपस्थित रहते हैं (छत्तीसगढ़ सरकार और कालपी 2007)।

3. गुड प्रैक्टिस

बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना ने अपनी गतिविधियों को बस्तर के आदिवासी जिले में 1999 में डेनिडा से वित्तीय सहायता के साथ आठ विकासखंड में शुरू किया। परियोजना के डिजाइन का प्रमुख उद्देश्य – गरीब आदिवासी कृषकों के पशुपालन प्रबंधन में गुणात्मक सुधार लाकर आय में सृजन करना था। हालांकि परियोजना 1999 में शुरू की गयी थी, एक बहुत आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रबंधन को बनाने में और शामिल कर्मियों की क्षमताओं के निर्माण में काफी समय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000 में किया गया और इस समय परियोजना क्रियान्वयन के लिए नई संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई।

जब तक ग्राम सहयोगकर्ताओं ने अपना वास्तविक काम, कार्यक्रम के अधीन गांवों में करना शुरू किया डेनिडा अपने द्विपक्षीय कार्यक्रम की भागीदारी की चरणबद्ध प्रक्रिया से बाहर आने वाला था जिसके तहत वित्तीय सहायता भी समाप्त होने वाली थी। इस दौरान (2004) बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना द्वारा बनाए गए मॉडल की क्षमता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के पशुपालन विभाग ने अपनी दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए धन का समर्थन जारी रखा और अपने बजट में इस परियोजना को शामिल कर लिया। इसके अलावा, कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों और पशु चिकित्सकों के पुराने समूह को बनाए रखा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में स्थिरता बनी रही।

तालिका 1: परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा देने से आए क्रमिक परिवर्तन		
उत्पादन प्रणाली		विकासखंड
शून्य चरण:	केवल स्कैवेंजिंग: नियमित रूप से खाना ना पानी, रात को भी किसी प्रकार का आश्रय नहीं	लोहान्डीगुडा बकावडं
पहला चरण:	पानी और पूरक आहार दिया गया, आश्रय में सुधार, पहले हफ्ते में एक दिन के चूजो की देखभाल, रानीखेत रोग का टीकाकरण	बस्तर हाटकोण्डल दंतेवाडा नारायणपुर गीदम
दूसरा चरण:	पहले चरण के अलावा बेहतर भोजन और पानी, आवास में सुधार, परजीविओ का उपचार और अतिरिक्त टीकाकरण	जगदलपुर कोडांगांव फरसगांव नरहरपुर
तीसरा चरण:	दूसरे चरण के अलावा उन्नत नस्लें और संतुलित आहार, अर्ध गहन प्रणाली	कांकेर भानुप्रतापपुर बस्तर

यह माना गया कि मुर्गी पालन समुदाय द्वारा अपनाए गई पारंपरिक प्रथाओं पर किया जाए और इन मौजूदा तरीकों में तकनीकी नवाचार लागू करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए पहला प्रयास था आदिवासियों को प्रोत्साहित कर उनकी पारंपरिक प्रणाली को मजबूत कर धीरे धीरे, बेसेई (Bessei) (1987) द्वारा सुझाये गये, शून्य चरण से तीसरा चरण तक विकसित करना। तालिका 1 में इसे समझाया गया है।

प्रोटीन युक्त भोजन, कृमिनाशन, टीकाकरण, आवास, अंडों की कैडलिंग, और बांस के खाने-

पीने के बर्तनो जैसे कम कीमत की, कम लागत की तकनीक के उपयोग का उद्देश्य था घरेलू मुर्गी उत्पादन को मजबूत करना। एक अतिरिक्त उद्देश्य था किसानों की जोखिम प्रबंधन क्षमता में सुधार

लाना। ऐसा नियमित एवं आर्थिक रूप से स्थायी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करके किया गया। गांव स्तर पर प्रशिक्षित ग्राम सहयोगकर्ता यह सेवाएं उपयोगकर्ता के भुगतान के आधार पर करते हैं।

आमतौर पर, पशु औषधालय शहरो या शहरो के आस-पास के क्षेत्रों में स्थित होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों और सड़क से दूर स्थित गांवों में पशु चिकित्सा सीमित स्टाफ उपलब्धता के कारण प्रायः संभव नहीं हो पाती है। इसके अलावा, पशुओं और मुर्गियों के लिए आवश्यक पशु स्वास्थ्य सेवाएं गांवों के प्रशिक्षित सहायक पशु चिकित्सक (paravets) आसानी से दे सकते हैं। मुर्गी पालक किसानों को मुर्गियों के स्वास्थ्य और प्रबंधन सेवाओं पर विस्तार प्रदान करने के अतिरिक्त, बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे ग्राम सहयोगकर्ताओं की पहचान और प्रशिक्षण में काफी निवेश किया। पारम्परिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं किसानों के घर-घर तक पहुंचाने के लिए किया गया ताकि इनको समझने में और व्यवहार में लाने में आसानी हो। सर्दी-खाँसी, दस्त, चेचक, घाव, बाहरी और आंतरिक परजीवी जैसे आम रोगों से निपटने के लिए औषधीय पौधों की चिकित्सा पद्धतियों की व्यावहारिक रूप से बहुत कम लागत थी और इनसे पक्षियों की रुग्णता और मृत्यु दर में (बॉक्स 2) में कमी आई थी। दिसंबर, 2006 में जारी की गई छत्तीसगढ़ पशुधन नीति इन पशु चिकित्सा पद्धतियों का समर्थन करते हुए इन्हें पशुओं के रोगों के उपचार के लिए प्रभावी मानती है।

बॉक्स 2: औषधीय पौधों से ग्रामीण मुर्गीपालन में उपचार*

सर्दी खाँसी

- 10 ग्राम अदरक का कंद मिश्रित कर के लक्षण गायब होने तक देते रहे। ये सभी खुराके 10 पक्षियों के लिए हैं।

घाव

- लहसुन की तिरियो एवं हल्दी कंद को पीसकर बराबर मात्रा में लेकर थोड़ा नारियल तेल मिलाकर लेप (पेस्ट) बनाया जाता है। इसे दिन में दो बार घाव पर लगाने से लाभ होता है।

दस्त रोग

- लहसुन की तिरियां को पीस कर एक नख के आकार के हल्दी के टुकड़े के साथ मिक्स कर रोज फीड के साथ खिलायें। (यह 10 पक्षियों के लिए पर्याप्त हैं)।

बाहरी-परजीवी

- ताजा और सूखे तंबाकू की पत्तियों को पक्षी की त्वचा पर रगड़ने से जूँए मर जाती है।

आंतरिक परजीवी

- कच्चे पपीते का रस व बीज का सेवन आंतरिक परजीवी से बचाते हैं।
- लहसुन की 6 तिरिया पीस कर मुर्गियों को फीड में मिलाकर खिलाए। यह मात्रा 1-2 दिनों के लिए 10 मुर्गियों के लिए पर्याप्त है। इस प्रक्रिया कोमहीने में एक बार दोहराएँ।

* इस तरह के और अधिक इलाजों के लिए अनुबंध 2 और 3 देखें।

इस परियोजना के अन्तर्गत पल्स रानीखेत (बॉक्स 3) जैसी अभिनव टीकाकरण योजनाएं शुरू की गईं जिनके तहत रानीखेत जैसे रोग के लिए, पक्षियों के टीकाकरण की व्यापक पहुंच में योगदान मिला।

यह बड़े पैमाने पर की गई टीकाकरण मिशन बस्तर के लिए अद्वितीय हैं और यह दूरदराज के गांवों में परिचालित ग्राम सहयोगकर्ताओं के नेटवर्क की वजह से संभव हुई है।

बॉक्स 3: पल्स रानीखेत(न्यूकासल) मिशन

पशु चिकित्सा डॉक्टरों, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों, ग्राम सहयोगकर्ताओं, प्रशिक्षित महिलाओं और इच्छुक व्यक्तियों के एक दल का गठन किया जाता है। एक निश्चित समय पर चार या पांच गांवों को ड्राइव के लिए चयनित किया जाता है। इस दल के सदस्यों को विभिन्न उप समूहों, में विभाजित किया जाता है जिसमें एक उप समूह को दूसरो को बर्फ और टीको के वितरण की जिम्मेदारी दी जाती है। अन्य समूहों को विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित कर दिया जाता है। टीका खुराक, बर्फ और बर्फ के बक्से जैसे सभी आवश्यक सामान को पर्याप्त मात्रा में एक दिन पहले ही जमा कर लिया जाता है। पंचायत (स्थानीय सरकार संस्था) जागरूकता अभियान का समर्थन करती है, और स्कूली बच्चों की सक्रिय भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टीकाकरण को एक निर्धारित जगह से सुबह या शाम शुरू किया जाता है और बाद के चरणों में, घर-घर तक टीकाकरण किया जाता है। 2008-2009 के दौरान सात ऐसे ड्राइव आयोजित किए गए जिसमें 1651510 कुक्कुट पक्षियों को टीका लगाया गया।


कुल मिलाकर, इस परियोजना से लाभार्थियों को कुक्कुट पक्षियों के स्वास्थ्य प्रति जागरूकता में मदद मिली है और मृत्यु दर में कमी आई है। इससे ग्रामीण निवासियों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों के गरीब समुदायों, की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर उपलब्धता से लघु मुर्गी पालन की पदोन्नति हुई है जिससे बेहतर पोषण और तत्काल नकदी में योगदान मिला है। कृषि क्षेत्र में डेनिडा समर्थक परियोजनाओं से सीखने को मिलता है कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विस्तार और सूचना प्रसार गतिविधियों से मुर्गियों के रखरखाव के बारे में जानकारी और ज्ञान का एक साझा मंच तैयार करने में मदद मिली।

इस परियोजना ने भैंस-बकरी जैसे छोटे मवेशियों को भी प्रभावित किया है। बस्तर क्षेत्र में भूमिहीन, सीमांत और छोटे जमींदारों सहित 42% ग्रामीण परिवार लगभग 67% भैंस-बकरी जैसे छोटे मवेशियों को पालते हैं। बस्तर क्षेत्र में भैंसों की आबादी कम है, जबकि, बकरियों और सूअर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदायों के बीच पाये जाते हैं।

(छत्तीसगढ़ सरकार और काल्पी, 2007)

सरकार के हस्तक्षेप द्वारा आया एक बड़ा परिवर्तन है ग्राम सहयोगकर्ताओं द्वारा दी गई रोगनिरोधी सेवाओं की उपलब्धता जो कि छोटे मवेशियों की निवारणीय बीमारियों जैसे कि एन्टेरोटोक्सिमिया (ईटी), पी.पी.आर से लड़ने से मदद देता है। टीकाकरण के अलावा ग्राम सहयोगकर्ता प्राथमिक चिकित्सा और छोटे मवेशियों की


चित्र 2 - भैंस-बकरियों के टीकाकरण की संख्या (बीआईएलडीपी) (2005-08)



डीवार्मिंग भी करते हैं जिससे कि पशुपालको की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। चित्र 2, 2005 और 2008 के बीच टीका लगाये हुए छोटे मवेशियो (ईटी और पी.पी.आर) और बड़े मवेशियो (हीमोरैजिक सैप्टीसीमिया(एच एस) और ब्लैक क्वाटर (बी क्यू)), की संख्या दर्शाता है। ग्राम सहयोगकर्ताओ को बड़े मवेशियो को बधिया करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता हैं। पशुपालन विभाग के कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए भी ग्राम सहयोगकर्ताओ को समर्थन प्रदान किया गया है। कुछ ग्राम सहयोगकर्ताओ को प्रशिक्षित किया गया है, और आंध्र प्रदेश में चल रहे गोपालमित्र कार्यक्रम के समान, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के रूप में पदोन्नत किया गया है।

4. हितधारक और उनकी भूमिकाएँ

चित्र 3 - शामिल हितधारक और उनकी भूमिका



ग्रामीण घरेलू मुर्गी पालन का प्रोत्साहन गांव संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन्हें राज्य विभागों और अपने अधिकारियों का समर्थन भी प्राप्त है। इस अभ्यास में प्रमुख खिलाड़ी हैं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), आदर्श कृषक, ग्राम सहयोगकर्ता, विकासखंड विस्तार दल और परियोजना प्रबंधन इकाई। (चित्र 3)

स्वयं सहायता समूह

एसएचजी गांव में, स्वायत्त संस्थाएँ हैं, जिनका गठन विकासखंड विस्तार दल के सहयोग से किया जाता है ताकि वे विस्तार सेवाएं प्रदान कर सकें। प्रारंभ में, परियोजना गांव समितियों का गठन किया जाता था जिसमें एक गांव के 50 परिवार शामिल होते थे। क्योंकि एक बड़े समूह का प्रबंधन करना मुश्किल था, इसके बाद, कम लोगों के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। ये स्वयं सहायता समूह परियोजना के कम लागत के, गरीब समर्थक हस्तक्षेपों के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में काम करती हैं। इस समूह में 10-20 सदस्य शामिल होते हैं, खासकर महिलाएँ, जो ऋण और बचत की गतिविधियों के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएँ हर महीने में 2-3 बार मिलती हैं और 10 से 20 रुपये प्रति सदस्य की मासिक बचत शुरू करती हैं। 6-8 महीनों के बाद, इन समूहों को परियोजना द्वारा पंजीकृत किया जाता है और यह ऋण का उपयोग कर सकते हैं। ये समूह पोल्ट्री किसानों की जरूरतों को स्पष्ट करने के लिए ना सिर्फ एक मंच के रूप में काम करते हैं बल्कि मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी के प्रसार में भी योगदान देते हैं। जब मुर्गी पालक किसानों की जरूरतों को ब्लॉक विस्तार दल द्वारा समय पर पूरा किया जाता है सदस्यों के बीच विश्वास और तालमेल मजबूत हो जाता है।

आदर्श कृषक

मॉडल किसान कुछ चुनिंदा महिला अथवा पुरुष मुर्गी पालक किसान हैं जो सफलतापूर्वक कम लागत की, गरीब समर्थक पशुधन पालन तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। इस परियोजना के तहत 435 गांवों में, 3700 मॉडल किसानों का एक नेटवर्क विकसित किया गया है। प्रत्येक गांव में 5 से 10 मॉडल किसान एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं ताकि दूसरे लोग उनका अनुकरण कर सकें।


ग्राम सहयोगकर्ता

ग्राम सहयोगकर्ता स्व रोजगारित पशुचिकित्सा सेवा प्रदान करती हैं। आमतौर पर स्थानीय युवा, जिन्होंने 8 से 10 वी कक्षा तक पढ़ाई की है, को ग्राम पंचायत (गांव की सामान्य सभा) द्वारा चुना जाता है। यह ग्राम सहयोगकर्ता परियोजना की रीढ़ की तरह होते हैं क्योंकि वे किसानों के घर-घर तक सस्ती और नियमित रूप से पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। छह महीने के भीतर-भीतर ये सेवाएं प्रदान करते हुए ग्राम सहयोगकर्ता प्रति माह औसतन 1,000 से 2,000 रुपये तक कमा लेते हैं। वे पोल्ट्री को टीका लगाने का 1 रुपया, छोटे मवेशियों को टीका लगाने के 5 रुपये और बड़े मवेशियों को टीका लगाने के 10 रुपये तक ले लेते हैं। किसी समय गांव वाले उन्हें वस्तु के रूप में भी भुगतान करते हैं, उदाहरण के लिए, एक मुर्गी, शहद की एक बोतल या स्थानीय रूप से पका हुआ शराब। हालांकि विस्तार कार्य के लिए उन्हें मौद्रिक लाभ नहीं मिलता है, गांव वालों द्वारा दी गई महत्ता उन्हें प्रेरित करने के लिए काफी है।

ग्राम सहयोगकर्ताओं को शुरू में एक 12 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण जगदलपुर जिला मुख्यालय क्षेत्र (परिशिष्ट 1 देखें) में स्थित परियोजना प्रशिक्षण इकाई प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है। इस के बाद 6-8 महीने का क्षेत्र प्रशिक्षण ब्लॉक विस्तार टीम की देखरेख में दिया जाता है। ग्राम सहयोगकर्ता पशु चिकित्सा की मूल बातों को सेवा के दौरान, ब्लॉक विस्तार टीम के पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक क्षेत्र अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखते हैं। क्षेत्र प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें अनुभव प्राप्त हो और आत्म विश्वास में वृद्धि हो। कई ग्राम सहयोगकर्ता विशेष रूप से पुरुष गौसेवक हैं जबकि महिला सहयोगकर्ता मुर्गी पालन और छोटे मवेशियों की पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।

बुनियादी कोर्स के पूरा होने के बाद, ग्राम सहयोगकर्ताओं को एक स्टार्टर किट प्रदान की जाती है। इसे क्षेत्र प्रशिक्षण के दौरान, ब्लॉक विस्तार टीम के निर्देशन में इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षेत्र प्रशिक्षण ग्राम सहयोगकर्ताओं को उनके गांवों में अपने दम पर काम करने में सक्षम बनाता है हालांकि वे ब्लॉक विस्तार टीम पर सुझाव और इनपुट की आपूर्ति के लिए निर्भर करते हैं। हर 3-4 महीने के बाद, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और बाह्य प्रशिक्षणिक भ्रमण (कृषि एवं पशुओं) आयोजित किये जाते हैं। इनसे ग्राम सहयोगकर्ताओं के कौशल को मजबूत बनाने में सहयोग मिलता है।

प्रशिक्षण (चित्र 4) का यह अनुभागीय दृष्टिकोण सहयोगकर्ताओं की रुचि को, एक लंबी अवधि तक, निरंतर पोषित करने में मदद करता है। प्रत्येक सहयोगकर्ता के प्रशिक्षण और स्टार्टर किट को मिलाकर अनुमानित 2600 रुपये का खर्च होता है। घर-घर तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ यह ग्राम सहयोगकर्ता प्राथमिक चिकित्सा और पिछवाड़े में मुर्गी पालन पर जागरूकता फैलाते हैं। ऐसा ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण, पशु चिकित्सा शिविरों और स्वयं सहायता समूहों के साथ मासिक बैठकों के माध्यम से किया जाता है।



खण्ड विस्तार टीम

खण्ड विस्तार टीम में एक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ और तीन सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (आमतौर पर महिलाएँ) शामिल हैं। यह टीम ग्राम सहयोगकर्ताओं के संचारक के रूप में काम करती है। यह खण्ड विस्तार टीम न केवल ग्राम सहयोगकर्ताओं को विस्तार सेवाओं और प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षण देती है बल्कि उनके लिए टीकों और दवाओं का भंडारण भी करती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक विशेष अभियान के अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं को ग्राम सहयोगकर्ता के रूप में भर्ती किया गया था।

प्रशिक्षण यूनिट और परियोजना प्रबंधन इकाई

परियोजना अंतर्गत एक प्रशिक्षण इकाई है जिसमें चारा विकास, पशुपालन, कृषि और बागवानी, और समाजशास्त्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। ये विशेषज्ञ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के प्रशिक्षण और पशुओं के विस्तार प्रबंधन की सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का समन्वय और निगरानी परियोजना प्रबंधन इकाई करती है। तालिका 2 में दिया गया, किसानों और पशु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, पिछले पांच वर्षों में, बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना को आवंटित बजट, राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (लाखों में)
2005-06	10.00
2006-07	12.15
2007-08	10.00
2008-09	10.00
2009-10	10.00

5. परिणाम

यह परियोजना लगभग एक दशक से कार्यान्वित है, और यह छोटे मुर्गी धारको के प्रबंधन संबंधित प्रथाओं में निश्चित रूप से परिवर्तन लायी है, जैसा की तालिका 3 में देखा जा सकता है।

तालिका 3: छोटे मुर्गी धारको की प्रबंधन संबंधित प्रथाए - हस्तक्षेप के पहले और बाद में		
विवरण	परियोजना से पहले	परियोजना के बाद
आवास डिजाइन	परंपरागत मुक्त रेंज	अर्ध गहन और कम लागत के आवास के साथ
खिलाने की प्रथाए	अनुचित भोजन	प्रोटीन अनुपूरण भोजन
शिकारी समस्याए	बिल्लियों, सियार, नेवला, आदि द्वारा शिकार	बांस आश्रयों से शिकार में कमी
स्वास्थ्य कवरेज	स्वास्थ्य कवरेज अच्छा नहीं	गांव स्थित ग्राम सहयोगकर्ता
कोल्ड चेन	कोल्ड चेन का रखरखाव नहीं	कोल्ड चेन का रखरखाव पहले से बहुत बेहतर
परजीवी नियंत्रण	कृमिनाशन नहीं किया जाता था	औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है
मृत्यु दर	भारी मृत्यु दर ($\geq 75\%$)	मृत्यु दर 20-30% के बीच में
पोल्ट्री जनसंख्या	स्थिर जनसंख्या	जनसंख्या में तीन गुना वृद्धि

ग्रामीण घरेलू मुर्गी पालन से आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (तालिका 4)।

तालिका 4: ग्रामीण घरेलू मुर्गी पालन के तहत एक देसी मुर्गी का तुलनात्मक अर्थशास्त्र				
विकार्य	परियोजना से पहले		परियोजना के बाद	
	संख्या	%	संख्या	%
मुर्गियाँ	1	-	1	-
एक वर्ष में दिए गए अंडों की औसत संख्या	35	-	35	-
अंडा नुकसान	10	29	2	6
अंडों की खपत	3	9	8	23
सेने के लिए निर्धारित अंडे	22	63	25	71
चूजों की संख्या	20	57	22	63
चूजों की मृत्यु	12	60	5	23
चूजों की उत्तरजीविता	8	40	17	77
वयस्कता तक पहुँचने वाले पक्षी	6	30	13	59
औसतन मूल्य प्रति पक्षी ²	रुपए 100	-	रुपए 200	-

	संख्या	मूल्य (रुपए)	संख्या	मूल्य (रुपए)
पक्षियों की खपत	2	200	4	800
पक्षियों को बेचा	2	200	5	1,000
पक्षियों को रखा	2	200	4	800
कुल आय	-	600	-	2,600
मां मुर्गी का लागत मूल्य	-	100	-	200
फीड (सफेद चोंटी या दीमक खिलाना)	-	-	-	100
स्वास्थ्य देखभाल खर्च	-	-	-	10
कुल व्यय	-	100	-	310
वार्षिक शुद्ध आय	-	500	-	2,290
1 क्षेत्र प्रेक्षणों और एक समय की जाँच के आधार पर.				
2 एक पक्षी के औसत मूल्य दोगुना हो गया है। मूल्य वृद्धि (पांच साल की अवधि में) के अलावा, पक्षियों के वजन की वृद्धि, बेहतर प्रबंधन और पालन प्रथाओं के परिणाम की वजह से है।				

हस्तक्षेप के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव इस प्रकार हैं:

स्वास्थ्य सेवाएं

ग्राम सहयोगकर्ता समुदाय के भीतर से प्रशिक्षित व्यक्ति ही हैं; इस वजह से बेहतर कवरेज और स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। परियोजना के द्वारा प्रत्येक ग्राम सहयोगकर्ता को दिए गए एक स्टील थर्मस (एक लीटर) से टीको के लिए कोल्ड चेन बनाए रखने में मदद मिली है। प्रत्येक गांव क्लस्टर को एक आइस बॉक्स प्रदान किया जाता है और ब्लॉक स्तर के कार्यालय / पशु चिकित्सालय रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर से लैस है। ग्राम सहयोगकर्ता दूरदराज के क्षेत्रों में पशुधन रखवाले को प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और टीकों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इस वजह से मुर्गियों का मृत्यु दर 80-90% से कम हो कर 20-30% हो गई है, जिससे की उत्पादकता में सुधार हुआ है।


टीका लगे पक्षियों की संख्या में वृद्धि

पल्स रानीखेत ड्राइव के रूप में निरंतर प्रयासों के माध्यम से टीका लगे पक्षियों की संख्या 2006 से 2009 की अवधि के दौरान लगभग दोगुनी हुई है (चित्र 5)।


पशुधन में वृद्धि

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और कम मृत्यु दर होने से, पशुधन में एक मात्रात्मक सुधार हुआ है, उदाहरण के

चित्र 5 - पशु चिकित्सा सेवाओं का प्रदान



लिए, ग्रामीण घरेलू पोल्ट्री उत्पादन में, देसी पक्षियों की संख्या में तीन गुना की वृद्धि हुई है (चित्र 6)।



पशु पालन प्रथाओं में परिवर्तन

यह परियोजना परंपरागत खुली व्यवस्था से अर्द्ध गहन स्कैवेजिंग व्यवस्था में बदलाव लायी है। मिट्टी के बर्तन के माध्यम से, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर, चींटियों और दीमक युक्त भोजन न केवल कम लागत का प्रोटीन युक्त आहार है बल्कि इससे आहार पर वित्तीय खर्च में भी कमी आई है (बॉक्स 5)।

बॉक्स 5 - मिट्टी के बर्तन की विधि द्वारा दीमक उपजाना

एक मिट्टी के बर्तन में पुराने सूती कपड़े और पटसन के टुकड़े ताजा और सूखा हुआ गाय का गोबर, बची-खुची सब्जियाँ, और दीमक लगी बांवी (एंटहिल) का छोटा टुकड़ा डाल दिया जाता है। इसे नम रखने के लिए कुछ पानी डालकर इस मिट्टी के बर्तन को उल्टा करके एक शांत और अंधेरी जगह पर फर्श पर रख दिया जाता है। ये दीमक लम्बे और खाने के टुकड़ों पर पलकर कई गुणा बढ़ जाते हैं जिससे 72 घंटे में यह मिट्टी का बर्तन सफेद चींटियों से भर जाता है। इस बर्तन को पलट दिया जाता है और पक्षियों के लिए सफेद चींटियों का भोजन प्रोटीन (लगभग 30%) का एक समृद्ध स्रोत है।



कैंडलिंग प्रक्रिया के माध्यम से अंडे में भ्रूण उपस्थिति की जाँच की जा सकती है जिससे किसान भ्रूणयुक्त अंडों को सेने के लिए अलग कर लेते हैं। इस अभ्यास से न केवल अंडे सेने की दर में सुधार हुआ है बल्कि भ्रूणरहित अंडे घरेलू खपत के लिए उपलब्ध हुए हैं (बॉक्स 6)।

बॉक्स 6: अंडों की कैंडलिंग भ्रूणयुक्त और भ्रूणरहित अंडों में अंतर करने की एक सरल तकनीक

टिन के डिब्बे के एक तरफ बल्ब होल्डर पर एक बल्ब लगाया जाता है (बिजली न होने पर टॉर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है) और दूसरे छोर पर एक छोटा सा छेद किया जाता है। इस छेद पर अंडे का चौड़ा हिस्सा रखा जाता है। भ्रूणयुक्त अंडे के चौड़े भाग पर सुई के आकार का एक काला बिंदू तैरता हुआ दिखाई देगा जबकि भ्रूणरहित अंडा पारदर्शी प्रतीत होगा। इस तकनीक के माध्यम से, भ्रूणरहित अंडों को चौथे या पांचवें दिन पर अलग किया जा सकता है और इसे बेचा या इसकी घरेलू खपत हो सकती है।



गरीबी में कमी

बेहतर विस्तार एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सरल पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का उपयोग जैसे की, अंडों की कैंडलिंग, कम लागत वाले आवास, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर, चींटियों और दीमक युक्त भोजन गरीब समुदायों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प है। इन सरल पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के साथ बनाये गये कम लागत के तकनीकी विकल्प किसानों की आय में भी सुधार लाए है, विशेष रूप से महिला मुर्गी पालकों के लिए क्योंकि ये आसानी से घर के भीतर अपनाया जा सकता है ।

ग्राम सहयोगकर्ताओं के लिए रोजगार के अवसर

इस परियोजना से ग्राम सहयोगकर्ताओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के सृजन में मदद मिली है। 8 साल की अवधि में, 1,500 से भी अधिक सहयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से 813 ग्राम सहयोगकर्ता वर्तमान में काम कर रहे हैं। जिनमें से 64%, 500 रुपये प्रति माह या अधिक अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम हैं। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने बाहरी वित्तीय संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में मदद की है और ग्रामीणों के बीच एक नियमित बचत रवैये को बढ़ावा दिया है। इससे ऋण उपलब्धता में भी आसानी हुई है।

बॉक्स 7: प्रकरण अध्ययन

कलावती अपने पति रतीराम और तीन बच्चों के साथ, छत्तीसगढ़ के बस्तर ब्लॉक के टिकनपाल ग्राम की उसरी पंचायत, में रहती है। उनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। कलावती एक खेत पर काम किया करती थी जबकि रतीराम अक्सर मजदूरी की तलाश में अन्य क्षेत्रों में को पलायन किया करता था। उन्होंने घर पर 5-6 देसी मुर्गियाँ और 2 देसी सूअरों का एक छोटा सा झुंड पाला हुआ था। उन्हें अपने पशुओं से प्रतिवर्ष मात्र 1,000 रु की आय होती थी, जबकि घरेलू स्तर पर मांस और अंडे की खपत ना के बराबर थी। कलावती ने बताया कि कुछ साल पहले, पक्षियों के बीच मृत्यु दर लगभग 90-100% थी जिसका कारण रानीखेत रोग, कीड़े और जीवाणु संक्रमण, शिकारी और सड़क दुर्घटनाए थी।

2002 में, सरकार ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संगठित किया। कलावती एक स्वयं सहायता समूह में शामिल हो गई। उसने पोल्ट्री झुंड के विस्तार एवं बेहतरी के लिए 4200 रुपए का ऋण लिया। एक ग्रामीण फैसिलिटेटर की मदद से कलावती ने पक्षियों के लिए एक आश्रय बनाया, खान-पान की बेहतर प्रथाओं को अपनाया एवं नियमित रूप से टीकाकरण और डीवार्मिंग किया। उन्होंने कैंडलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उपजाऊ एवं अनुपजाऊ अंडों की भी पहचान की। इन छोटे- छोटे परिवर्तनों से उसकी पोल्ट्री यूनिट की वृद्धि हुई जो की बढ़कर 30-35 पक्षियों का हो गया है। अब कलावती के पास बेहतर किस्म के चार सूअर है। बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के कारण, उनके पशुओं की मृत्यु दर भी 20-25% तक नीचे आई है।

कलावती इस परियोजना से जुड़े होने पर गर्व महसूस करती है क्योंकि उनका परिवार अब आर्थिक रूप से सुरक्षित है। अकेले पशुधन गतिविधि से उन्हें 6,000 रुपए की वार्षिक आय होती है। इस कारण से वे स्वसहायता समूह से लिए हुए ऋण में से 3,000 रुपए का भुगतान करने में सफल रही है। हाल ही में उन्होंने अपने घर का नवीकरण किया है और अपने बच्चों को भी एक प्राथमिक स्कूल में भर्ती कराया है। इसके अलावा घरेलू खपत के लिए पर्याप्त मात्रा में पशुधन उत्पाद भी उपलब्ध है।

पारंपरिक ज्ञान को मजबूत बनाना

पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का सदुपयोग इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण मुर्गीपालन में, आम स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए, औषधीय पौधों की चिकित्सा पद्धतियों से पारंपरिक (स्वदेशी) ज्ञान प्रणालियों को मजबूत बनाने में योगदान मिला है। इसके अलावा, प्रथाएं पारंपरिक ज्ञान पर निर्मित होने के कारण ग्राम समुदायो ने इन्हे आसानी से स्वीकार किया और अपनाया है।

पोषण और खाद्य सुरक्षा

आम तौर पर परिवारों में पक्षियों की खपत, मांस के रूप में होती है जबकि अंडों को अधिकतर सेने के लिए रखा जाता है। पोल्ट्री में मृत्यु दर कम होने के कारण यह आसानी से घर की खपत के लिए उपलब्ध है। इस के अतिरिक्त अंडों और मांस की बिक्री बढ़ने के कारण आय में सुधार हुआ है जिससे

की उच्च खाद्य सुरक्षा में योगदान मिला है। कैंडलिंग प्रक्रिया के माध्यम से भूणयुक्त एवं भूणरहित अंडों की पहचान के सरल अभ्यास से भूणरहित अंडे घरेलू उपभोग करने या बेचने के लिए उपलब्ध रहते हैं।

महिला सशक्तिकरण

इन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को एक प्रवेश बिंदु के रूप में बनाने से, महिला पोल्ट्री किसानों का एक साझा मंच बनाने और इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिली है। इन स्वयं सहायता समूहों ने न केवल एक नेटवर्क स्थापित करने में मदद की है बल्कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी सशक्तिकरण में योगदान दिया है। कुल ग्राम सहयोगकर्ताओं में लगभग 18 प्रतिशत महिलाएं हैं और इन स्वयं सहायता समूहों ने इन महिला ग्राम सहयोगकर्ताओं की क्षमता को भी मजबूत किया है।

6. सीखे हुए सबक

इस परियोजना के तहत दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे गरीब किसानों को घरेलू मुर्गीपालन के लिए प्रोत्साहित करने का एक सफल प्रयास किया गया है। मुख्य सबक इस प्रकार हैं

1. सरकार ने एक दानदाताओं द्वारा स्थापित परियोजना, को समर्थन दिया और इसे एक बहुत लंबी अवधि के लिए उपजीवित एवं विकसित किया। इससे ग्राम सहयोगकर्ता एवं बहु अनुशासनिक विस्तार के पूर्ण एकीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का अनुकूल वितरण (optimal distribution) गरीब आदिवासी किसानों के घर - घर तक पहुँचा है।
2. पारंपरिक सरकारी कार्यक्रम के तहत उन्नत नस्लों के पक्षी प्रदान करने की तुलना में मौजूदा देसी झुंड के लिए स्वास्थ्य और विस्तार सेवाओं में सुधार लाना अधिक कुशल और लागत प्रभावी है। बेहतर बुनियादी पशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के चलते मौजूदा पोल्ट्री की उत्पादकता में सुधार आया है जिसके परिणामस्वरूप न केवल गरीब पशुपालकों की पशुधन संपत्ति और आय में वृद्धि हुई है बल्कि घर के भीतर पशु उत्पादों की खपत भी बढ़ी है।
3. पशु स्वास्थ्य कर्मचारी एवं समुदाय के भीतर से चुने हुए ग्राम सहयोगकर्ता, स्थानीय समस्याओं और किसानों की आवश्यकताओं को समझते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करने में अधिक समर्पित हैं क्योंकि वे अपने समाज के प्रति जवाबदेह हैं।
4. ग्राम सहयोगकर्ताओं के लिए एक स्थायी आधार पर कार्य करने के लिए, यह जरूरी है कि उन्हें कम से कम मुर्गी और भेड़-बकरियों के लिए और अधिकाधिक बड़े मवेशियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। ग्राम सहयोगकर्ताओं एवं पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रुचि को निरन्तर बनाए रखने और ज्ञान को बढ़ाने के लिए मॉड्यूलर प्रशिक्षण आवश्यक है जिसके तहत उन्हें कक्षा प्रशिक्षण के तुरन्त बाद, क्षेत्र प्रशिक्षण, व्यावहारिक दौरे एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें पशु चिकित्सा प्रणाली रेफरल का एक महत्वपूर्ण भाग होने की अनुभूति होगी।
5. ग्राम सहयोगकर्ताओं और पशु चिकित्सकों के बीच के स्वस्थ संबंध, ग्राम सहयोगकर्ताओं की स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
6. गरीब क्षेत्रों में, पशुओं के स्वास्थ्य के रोग निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित कर पोल्ट्री टीकाकरण ड्राइव (पल्स रानीखेत) जैसे कार्यक्रमों में पूरे समुदाय को शामिल करने से उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। यह मॉडल प्रदर्शित करता है कि ग्राम सहयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई पशु स्वास्थ्य सेवाओं की बाजार में मांग है और सुदूर आदिवासी गांवों के निवासी पशुपालक भी इन सेवाओं का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में करने को तैयार हैं यदि सेवाएं समय पर उपलब्ध हों।
7. हालांकि सीमांत किसान नई कृषि पद्धतियों को अपनाने को तैयार हैं, गरीबी के कारण यह इन प्रयोगों को करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। मौजूदा पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को मजबूत कर सरल एवं कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को शुरू करने से ग्रामीण घरेलू मुर्गी पालन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।
8. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समूह विस्तार प्रणाली, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है जिससे घरेलू मुर्गीपालन गतिविधियों और विशेष रूप से महिला किसानों, के बीच नेटवर्किंग में सहयोग मिलता है। एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि समूह न तो बहुत बड़े हो जिससे उनका

समन्वय मुश्किल हो और न ही बहुत छोटे हो ताकि उनकी बचत क्षमता व्यर्थ और साथियों का दबाव अप्रभावी हो जाए।

9. ज्यादातर मामलों में, छोटे किसानों को पशुधन विशेषज्ञों से ज्यादा विस्तार विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और इसलिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण होना आवश्यक है। अर्थात् इसमें पशुपालन, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, सामाजिक पहलुओं, आदि के बीच संयोजन होना आवश्यक है। अस्पताल में उपचार गतिविधियों में संपन्न पशु स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को पशु विस्तार और प्रबंधन गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।
10. प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन से जैसे कि एक सहायक ग्राम सहयोगकर्ताओं के काइर निर्मित करने से और एक अलग परियोजना प्रबंधन की स्थापना, से कार्यक्रम के कुशल संचालन में योगदान मिला है। इससे दूरदराज की ग्रामीण बस्तियों तक पहुँचने में मदद मिली है।

7. उपयुक्तता और दोहराने में सक्षमता

यह परियोजना दोहराए जाने की क्षमता रखती है क्योंकि इसने ग्रामीण घरेलू मुर्गी पालन को इस देश के सबसे दुर्गम इलाकों में सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया है। इस परियोजना का विस्तार अब 16 विकासखंडों में किया गया है, जहाँ 37,000 किसान परिवार बस्तर क्षेत्र के चार विभिन्न जिलों से संबंधित हैं। इसके तहत इस क्षेत्र के 435 गांवों में ग्राम स्तरीय संस्थाओं का एक नेटवर्क बना है। यह परियोजना पुरानी प्रथाओं में कठोर परिवर्तन न लाकर परंपरागत ज्ञान और मौजूदा सिस्टम पर मुर्गी पालन प्रणाली विकसित कर रही हैं। इस परियोजना को न केवल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों में दोहराया जा सकता है बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में भी विकसित किया जा सकता है।

अन्य क्षेत्रों में इस अभ्यास को दोहराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसे कि खण्ड विस्तार टीमों को ज्ञान बांटने हेतु एक संस्थागत संरचना की स्थापना, विस्तार एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन और प्रशिक्षण यूनिट का गठन, और ग्राम सहयोगकर्ता, मॉडल किसान, स्वयं सहायता समूह और मुर्गी पालकों को नियमित समर्थन और मार्गदर्शन। इस संस्थागत संरचना से नियमित टीकाकरण से कुक्कुट पक्षियों की मृत्यु दर में भारी कमी आई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसने इस पहल की सफलता में योगदान दिया है। यह है कि नई नस्लों और प्रथाओं की शुरुआत के बजाय मौजूदा मुर्गी पालन प्रणाली को परंपरागत ज्ञान और मौजूदा सिस्टम से मजबूत बनाया गया। पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धतियों (जिसमें औषधिये पौधों द्वारा उपचार भी सम्मिलित है) को स्वीकार करते हुए उनका दस्तावेजीकरण और प्रसार दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां गांव समुदाय बाजार से काफी दूरी पर हैं, करने से काफी मदद मिली है।

यह आवश्यक था कि ग्राम सहयोगकर्ताओं की आय का एक स्तर बना रहे जिससे कि वे अपने हित और निरंतरता को कायम रख सकें जिसके तहत उन्हें दोनों छोटे और बड़े मवेशियों की स्वास्थ्य व्यवस्था और सहायता सेवाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बी.आई.एल.डी.पी के तहत ग्राम सहयोगकर्ताओं को मुर्गी पालन के अलावा छोटे और बड़े मवेशियों के पालन पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुछ मामलों में, प्रशिक्षित ग्राम सहयोगकर्ता पशुपालन विभाग के कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकार द्वारा पदोन्नत कम लागत की तकनीको (उदाहरण के लिए अंडों की कैंडलिंग, प्रोटीन युक्त भोजन) ने प्रोग्राम में विशेष योगदान से घरों के भीतर पोषण सुरक्षा और आय में निरंतर सुधार हुआ है। इन प्रथाओं के आसानी से अपनाए जाने के कारण इनके परिमाण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

इस अभ्यास के तत्वों एवं इनसे सीखे सबक न केवल, कई भारतीय राज्यों में पशुधन संबंधित नीतियों को आकार देने में योगदान देंगे जिससे की गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी बल्कि, 11 वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित (2007-2012), न्यायसंगत और व्यापक कृषि को बढ़ावा देने में भी योगदान देंगे।

संदर्भ:

बेसेड़ (1987), विश्व पोल्ट्री उत्पादन की प्रवृत्तियों. हैमलिन, जर्मनी में तीसरी अंतरराष्ट्रीय उष्ण जलवायू में पोल्ट्री उत्पादन पर संगोष्ठी पर प्रस्तुत किया गया निबंध, जून 1987।

चेक कौनरौय (2004), पशुधन क्षेत्र का विकास और गरीबी, विशेषत भारत के संदर्भ में: प्राकृतिक संसाधन संस्थान और डीएफआईडी।

BILDP रिपोर्ट: *BILDP* और जानवर टीकाकरण के प्रभाव, पशु पालन विभाग से प्राप्त किया हुआ विवरण।

छत्तीसगढ़ सरकार, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग, छत्तीसगढ़ पशुधन विकास नीति दिसंबर 2006।

छत्तीसगढ़ सरकार और कालपी (2007), छत्तीसगढ़ में पशुधन और पोल्ट्री सेक्टर: वर्तमान स्थिति और भविष्य में विकास के लिए दृष्टिकोण।

भारत सरकार, पशुपालन और डेयरी के कार्य समूह की रिपोर्ट, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007), योजना आयोग, नई दिल्ली, 2002।

मेहता आर, नांबियार आरजी, (2002), पशुधन औद्योगीकरण, व्यापार और सामाजिक - विकासशील देशों में स्वास्थ्य पर्यावरण प्रभाव: भारतीय पोल्ट्री सेक्टर से एक केस अध्ययन, इफपी को प्रस्तुत की गई परियोजना के पहले चरण की रिपोर्ट, मई 2002।

डेलगैडो सी, रोज़गैट, एम, स्टेनफेल्ड, एच, एहोय एस, और करबो सी. (1999), " पशुधन से 2020 - अगली खाद्य क्रांति". खाद्य, कृषि और पर्यावरण चर्चा निबंध 28, इफपी / एफएओ / इलरी।

एफएओ पोल्ट्री सेक्टर की समीक्षा 2008।

पी के शिंदे और एन श्रीवास्तव, "घरेलू पोल्ट्री पर अनुकूली अनुसंधान हस्तक्षेप: सीखे हुए सबक और आगे अनुसंधान के लिए प्रतिक्रिया" पोल्ट्री अनुसंधान प्राथमिकताओं से 2020: 239-243, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टिट्यूट।

स्टेनफेल्ड, एच. (2002) " पशु उत्पादों के लिए बढ़ती वैश्विक मांग, बढ़ाने से पशु उत्पादों के लिए वैश्विक मांग का जवाब: बी एस ए एस, आसा, और एम स ए प के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यक्रम और सारांश, मेरिडा. मैक्सिको, नवम्बर 2002।

परिशिष्ट 1 – ग्राम फैसिलिट्रेटर्स के लिए 12 दिन के बुनियादी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम:

प्रत्येक ग्राम फैसिलिट्रेटर्स को बारह दिन का फाउंडेशन कोर्स प्रदान किया जाता है जिसके तहत उन्हें पशुधन पालन, विशेष रूप से मुर्गी पालन के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस पाठ्यक्रम को परियोजना के एक परिचय, इसके उद्देश्यों, कार्यान्वयन रणनीति, और ग्राम फैसिलिट्रेटर्स और समितियों की भूमिका व जिम्मेदारियों के साथ शुरू किया जाता है। इस के बाद इन्हें डेटा संग्रह प्रणाली, पशुओं की जनगणना और रिकॉर्ड बनाए रखने के व्यावहारिक प्रदर्शन से अवगत कराया जाता है। इसके बाद ग्राम फैसिलिट्रेटर्स को बीमार पशुओं की पहचान, घाव का उपचार, *डीवार्मिंग* और, प्राथमिक चिकित्सा के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस के बाद इन्हें टीकाकरण के महत्व, इसको तैयार करने और लगाए जाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड चेन को सुनिश्चित बनाए रखने के महत्व और तरीके पर प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा किट में मौजूद विभिन्न दवाओं और उपकरणों के महत्व और इनके नियमित विसंक्रमण पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस सत्र के बाद मुर्गियों और भेड़ बकरियों की आम बीमारियों और टीकाकरण एवं *डीवार्मिंग* का व्यावहारिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि, चारे की खेती, बागवानी, खाद तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, ग्रामीण समुदायों के साथ काम करने और संचार और विस्तार सेवाएं प्रदान करने का प्रशिक्षण भी इस बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल है।

परिशिष्ट 2: औषधीय पौधों से ग्रामीण मुर्गीपालन में उपचार

सर्दी खाँसी

1. 3-4 लहसुन की तिरियां को पीस कर या 10 ग्राम अदरक का कंद या 5 मिर्चों को सुबह में दैनिक फीड के साथ मिश्रित कर के लक्षण गायब होने तक देते रहे। ये सभी खुराके 10 पक्षियों के लिए हैं।
2. प्रति पक्षी ¼ प्याज काटें और खिलायें।
3. 10gm ताजा अदरक को कूटे और इसका रस निचोड़ कर 250 मिलीलीटर पानी और 10 ग्राम भूरी शक्कर के साथ मिलाए। यह मिश्रण 10 पक्षियों को पीने के पानी के रूप में देने के लिए पर्याप्त है।

दस्त रोग

1. 7-10 लहसुन की तिरियां को पीस कर एक नख के आकार के हल्दी के टुकड़े के साथ मिक्स कर रोज़ फीड के साथ खिलायें। (यह 10 पक्षियों के लिए पर्याप्त हैं)।
2. 1 लीटर पानी के साथ 250 ग्राम भूरी शक्कर उबाल लें. इसमें 250 ग्राम पिसी हुई हल्दी डालकर पानी के आधा रह जाने तक उबाले और ठंडा कर के सूखी बोतल में रख ले। इस मिश्रण के 3 चम्मच प्रतिदिन पीने के पानी में मिला कर दें (10 पक्षियों के लिए पर्याप्त)।
3. पीने के सादे पानी के बजाय चावल का मांड दे। यह पेट को बांधने में मदद करता है।
4. जब तक दस्त रहते हैं, परिष्कृत गेहूँ के आटे को फीड के रूप में दे।

रानीखेत (झुमरी) रोग

1. टीकाकरण जरूरी है। यह रोग मुख्यतः मौसम परिवर्तन के दौरान होता है। निम्नलिखित रोग निवारक उपाय अपनाने से पोल्ट्री को रानीखेत रोग से दूर रखने में मदद मिलेगी।
 - 2 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर को मिलाकर पक्षियों को दे।
 - 6-7 लहसुन की पतियों को पीस कर खाने में मिला कर दे।(यह 10 पक्षियों के लिए पर्याप्त हैं)

चेचक रोग

1. तुलसी के पत्तों या नींबू घास का एक गुलदस्ता टांगने से मक्खी और मच्छर दूर रहते हैं। रुके हुए पानी को निकालने या उसमें मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं।
2. काली मिर्च को पीस कर फफोले पर लगाए।
3. पिसी हुई काली मिर्च को 3 दिनों तक, दिन में दो बार पक्षियों को खिलाये। वयस्क पक्षियों के लिए 5-10 बीज और युवा पक्षियों के लिए 2-3 बीज का उपयोग करें।
4. एक मुट्ठी मुलैठी की पतियों को पीस कर एक मुट्ठी चूना पत्थर के साथ मिलाकर पक्षियों को खिलाये।

घाव

1. लहसुन की तिरियो एवं हल्दी कंद को पीसकर बराबर मात्रा में लेकर थोड़ा नारियल तेल मिलाकर लेप (पेस्ट) बनाया जाता है। इसे दिन में दो बार घाव पर लगाए जब तक घाव न भरे।
2. इसी प्रकार हल्दी कंद को पीसकर तैयार रस को घाव पर दिन में दो बार लगाए।
3. लकड़ी के बुरादे या वनस्पति तेल को घाव पर लगाये।

4. मछली के तेल के 1 चम्मच में 1 चम्मच लकड़ी के कोयले का पाउडर मिलाकर प्रति दिन 1-2 बार घाव पर लगाये।

मक्खी विकर्षक और एंटीबायोटिक दवाएँ

1. एक मुट्ठी ताजा नीम की पत्तियों को पीस कर, एक प्रलेप बनाकर घाव पर लगाए।
2. निर्गुण्ठी की ताजा पत्तियों को पीस कर, एक प्रलेप बनाकर घाव पर लगाए।

कीड़ा संक्रमित घाव

1. घाव पर बरगद के पेड़ का दूधिया सार डाले। जब कीड़े बाहर आ जाए, किसी प्रलेप को इस घाव पर लगाए। ऐसा 2-3 दिनों तक दोहराएँ।
2. कच्चे रामफल (सीताफल) को पीस कर घाव पर लगाए। उसके बाद किसी प्रलेप से घाव को ढक ले। ऐसा 2-3 दिनों तक दोहराएँ।
3. ताजा नीम की पत्तियों को पर्याप्त नारियल तेल के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इसे घाव के भरने तक रोजाना दिन में एक बार लगाए।

संक्रमित घाव

1. नीलगिरी की पत्तियों को पीस उसका रस निचोड़ ले। इस रस को संक्रमित घाव पर दिन में दो बार डाले। ऐसा घाव के ठीक हो जाने तक करे।

जलन

1. जले हुए क्षेत्र को ठंडे पानी से धोए और उस पर ताजा शहद या घृत-कुमारी का गूदा लगाए।

परिशिष्ट 3

आंतरिक परजीवी और सांस्कृतिक पशु चिकित्सा पद्धतियों

1. पीता सार (कैरिका पपाया) - कच्चे फल या शाख में चाकू के साथ छेद करने से पौधे का रस मिलता है। सुबह के समय इस रस को अच्छी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। पौधों का रस के 5 भागों में एक भाग (10 – 15 मि. ली.) पानी मिला कर 5 दिनों तक दिया जाता है। यह राशि 10 पक्षियों के लिए पर्याप्त है। इस मिश्रण में सक्रिय पपायन एंजाइम आतों में मौजूद पेप्सिन की तरह आंत्र परजीवियों (ऐस्कैरिड्स) पर मुख्य रूप से प्रभावी है (वल्लाचेयर्स, 1998)।
2. पीते के बीजों को खिलाने से भी फायदा होता है (3-4 बीज प्रति पक्षी)।
3. भुनी हुई सुपारी को पीसकर, मुर्गियों को फीड में मिलाकर खिलाना चाहिये। एक सप्ताह तक दिन में एक बार इस चूर्ण की एक चुटकी सीधे पक्षी के मुँह में भी डाली जा सकती है।
4. 250 ग्राम ताजा हल्दी के प्रकंद को कूट कर इसका रस निचोड़ ले। इस रस को पीने के पानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह दवा हर महीने में एक बार निश्चित रूप से दी जानी चाहिए।
5. लहसुन की 6 तिरिया पीस कर मुर्गियों को फीड में मिलाकर खिलाए। यह मात्रा 1-2 दिनों के लिए 10 मुर्गियों के लिए पर्याप्त है। इस प्रक्रिया को महीने में एक बार दोहराएँ।
6. एक भाग अनार फल को दो भाग पानी में 15-20 मिनट के लिए उबालकर, पानी को छान ले। इस छने हुए रस 2-3 दिनों के लिए पीने के पानी के रूप में दिया जाता है।

बाहरी-परजीवी

बाहरी-परजीवी जैसे कि जू व किलनी (माईट्स) सफाई में कमी और खराब प्रबंधन की वजह से पक्षियों को प्रभावित करते हैं। ये रक्त चूसने वाले परजीवी रात में निकलते हैं। दिन के दौरान पक्षियों पर न रहने के कारण इनका उन्मूलन मुश्किल है। जू पक्षियों की त्वचा पर ही अपना सारा जीवन बिताती हैं और उनके पंखों पर ही अंडे देती हैं।

1. मुर्गी घर का सुगंधित करण - आबनूस (*Diospyros ebenum*) या तम्बाकू सूखे हुए पत्तों को मुर्गी घर के नीचे जला देने से धुआं मुर्गी घर में चला जाता है। ऐसा करने से जूँ, टिक्स और कण (माईट्स) दूर हो जाते हैं। पक्षियों को धूँ से दूर रखा जाता है।
2. नींबू (*Citrus acida*) की छाल के पाउडर को भी जला कर टिक्स और कण (माईट्स) को हटाया जाता है। इसी तरह कई पौधों के सूखे पत्तों को जलाकर सुगंधित करण किया जाता है, जैसे कि मोगरा (*Jasminum sambaci*), सुगंधित अरनी (*Premna odorata*), और निर्गुण्ठी (*Vitex negundo*)।
3. निर्गुण्ठी (*Vitex negundo*), तुलसी (*Ocimum sanctum*), या नींबू घास (*Cymbopogon citrates*) का गुलदस्ता मुर्गी घर में लटका दिया जाता है: इसकी गंध बाहरी-परजीवियों को दूर रखती है।
4. ताजा और सूखे तंबाकू की पत्तियों को पक्षी की त्वचा पर रगड़ने से जूँ मर जाती है। निम्नलिखित मिश्रण मलने से भी जूँओं को दूर करने में सहायता मिलती है:
 - दो भाग नीम के पत्ते या तेल को एक भाग के नमक और एक हिस्सा राख में मिलाए
 - एक भाग नमक और दो हिस्से सरसों का तेल मिलाए

5. महुआ (*Madhuca longifolia*), टोरा या करंज के तेल को भी पक्षियों की त्वचा पर लगाने से जूँओं से राहत मिलती है। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से इसे इस्तेमाल किया जाता है।
6. नीम के पानी में भिगोना - नीम की ताजा पत्तियों को 15-20 मिनट के लिए उबाल कर रात भर रखे और पत्तियां निकाल ले। पानी के इस घोल में पक्षियों को सिर के हिस्से को छोड़कर भिगोया जाता है और पत्तियों को पीस कर इसका लेप शरीर के प्रभावित भागों पर लगाया जाता है।
7. घोंसले में बिस्तर - एक मुट्ठी नींबू घास (*Cymbopogon citrates*) को मुर्गी के अंडे देने से पहले घोंसले में डालने से परजीविओ से बचाव होता है।

बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना (BILDV)/ छत्तीसगढ़ की सरकारः भारत और डेनमार्क की द्विपक्षीय परियोजना बस्तर में 1999 में प्रारंभ हुई थी। प्रायोगात्मक आधार पर शुरू हुई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चयनित आदिवासी ब्लॉकों में खेती एवं पशुधन प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने का था। ऐसा पर्याप्त और उचित विस्तार सेवाएं प्रदान करके एवं किसानों की संपत्ति बनाने के माध्यम से किया गया। जब 2004 में डेनिडा इस परियोजना से बाहर हुआ, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे बढ़ावा दिया और कायम रखा।

BILDV के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - डॉ प्रकाश शिंदे prakashshinde@yahoo.co.in

इस गुड प्रैक्टिस के बारे में

सरकार द्वारा कायम रखी गई यह गुड प्रैक्टिस दर्शाती है कि किस प्रकार कम लागत के प्रभावी हस्तक्षेपों से प्रोटीन युक्त भोजन, कृमिनाशन, टीकाकरण, कम लागत के आवास, वांस से बने खाने और पीने के बर्तन, अंडों की कैडलिंग जैसी तकनीकों से घरेलू मुर्गी उत्पादन को मज़बूत बनाने में सहयोग मिला है। पर्याप्त विस्तार और पशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता ग्राम सहयोगकर्ताओं के सृजन के माध्यम से सरल हुई है। इससे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी किसानों की मुर्गी पालन और कृषि प्रबंधन क्षमताओं में सुधार आया है।

इन उपायों से लाभार्थियों में कुक्कुट पक्षियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है जिससे पक्षियों की मृत्यु दर को कम करने में योगदान मिला है। इनके झुंड के आकार में तीन गुना तक वृद्धि हुई है जिससे आदिवासी क्षेत्रों में गरीब समुदायों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

साउथ एशिया प्रो-पुअर लाइवस्टोक पोलिसी प्रोग्राम

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और सयुंक्त राष्ट्र के खाद्य एवम् कृषि संगठन का उपक्रम

क्षेत्र कार्यालयः

एनडीडीवी हाऊस, पोस्ट बॉक्स 4906, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली, 110 029, भारत

टेलीफोनः +91 (0) 11 2619 7851 / 7649 • फ़ैक्सः +91 (0) 11 2618 9122

ई मेलः sapplpp@sapplpp.org

वेबसाईटः www.sapplpp.org

सहभागी संस्थाएं

ब्राक
ब्राक सेंटर
75 मोहाखाली ढाका 1212
बांग्लादेश
टेलीफोनः +880 2 88241807
एक्सटेंशनः 2311
फ़ैक्सः +880 2 8823542, 8826448
ई मेलः rouf.s@brac.net

पशुधन विभाग
कृषि मंत्रालय
थिम्पु
भुटान
टेलीफोनः +975 (0) 2 351102
फ़ैक्सः +975 (0) 2 322094, 351222
ई मेलः tshering@sapplpp.org
naip@druknet.bt

बाएफ डीवेलपमेन्ट रिसर्च फ़ाउण्डेशन
डाॅ मणीभाई देसाई नगर, एन एच 4
वरजे, पुणे, 411058, भारत
टेलीफोनः +91 (0) 20 25231661
फ़ैक्सः +91 (0) 20 25231662
ई मेलः sepawar@sapplpp.org
sepawar@baif.org.in